

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं० डी०एल०ए० समस्तीपुर

दिनांक

रा० चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - इन्दरवारा, परगना सरैया, थाना - समस्तीपुर, थाना नं० 336, जिला - समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रा०उ० पथ सं०-31 के प्रस्तावित बाईपास में करजान गाँव से रा०उ० पथ सं०-28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर प्रस्तावित 4-लेन पुल एवं 4-लेन पहुँच पथ के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम इन्दरवारा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम वो वेश 32.49 एकड़ के बराबर है जिसका खेसरा सं० अंश 232, 276, 275, 277, 278, 279, 280, 292, 291, 290, 283, 282, 284, 289, 288, 285, 287, 286, 302, 303, 306, 307, 329, 328, 327, 324, 323, 337, 372, 371, 338, 368, 365, 362, 445, 446, 447, 449, 450, 360, 451, 2031, 2032, 2035, 2036, 2038, 452, 2027, 2025, 2022, 2023, 2018, 2019, 2041, 2013, 2012, 2011, 2042, 2448, 2449, 2452, 2450, 2455, 2453, 2456, 2457, 2458, 1964, 1963, 2460, 2461, 2464, 2466, 2471, 1952, 1953, 1949, 1947, 2484, 2485, 1948, 1942, 1941, 1940, 2487, 1905, 1891, 2489, 2493, 1885, 1884, 1883, 1882, 2494, 1881, 1838, 1839, 1842, 1843, 1844, 1855, 1856, 2495, 2497, 1697, 1830, 1831, 1817, 1775, 1822, 1767, 1774, 1780, 1772, 1781, 1782, 1769, 1768, 1786, 1093, 1094, 1100, 1099, 1098, 1097, 1117, 1115, 1114, 1108, 1110, 1112, 1113, 1122, 1146, 1109, 1150, 1149, 1148, 1145, 1143, 1142, 1144, 1158, 1159, 1169, 1168, 1167, 1356, 1161, 1166, 1237, 1238, 1242, 1243, 1241, 1236, 1233, 1235, 1240, 1253, 1265, 1266, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1267, 1271, 1278, 1275, 1276, 1281, 1284, 1285, 1282, 1226, 1289, 1290, 1297, 1298 एवं पूर्ण खेसरा संख्या - 325, 326, 370, 367, 366, 361, 448, 2029, 2030, 2034, 2033, 2028, 2026, 2021, 2220, 2017, 2016, 2015, 2014, 2451, 2454, 2465, 1954, 1888, 1889, 1887, 1886, 1890, 1837, 1836, 1840, 1841, 1835, 2496, 1696, 1832, 1833, 1834, 1818, 1815, 1820, 1821, 1770, 1771, 1773, 1095, 1096, 1147, 1160, 1162, 1163, 1164, 1239, 1234, 1254, 1264, 1263, 1262, 1260, 1272, 1273, 1274, 1277, 1286 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- सीमा रेखा ग्राम चकलालसाही।

पूरब :- अंश खेसरा सं०- 232, 275, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 303, 306, 324, 323, 372, 371, 368, 445, 446, 447, 449, 2032, 2035, 2036, 2038, 2041, 2042, 2448, 2449, 2450, 2455, 2457, 2458, 2459, 2461, 2466, 2471, 2484, 2485, 2487, 2489, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 1830, 1831, 1822, 1767, 1768, 1769, 1786, 1093, 1094, 1117, 1115, 1114, 1122, 1146, 1143, 1142, 1356, 1161, 1243, 1244, 1241, 1240, 1253, 1278, 1284, 1285, 1289, 1290, 1297, 1298 एवं पूर्ण खेसरा संख्या - 263, 322, 369, 1695, 1693, 1765, 1116, 1141।

दक्षिण :- सीमा रेखा ग्राम लोदीपुर नारायण।


पश्चिम :- अंश खेसरा सं०- 332, 376, 277, 292, 291, 290, 289, 288, 285, 302, 329, 326, 327, 337, 338, 365, 362, 360, 451, 452, 2027, 2026, 2025, 2022, 2018, 2012, 2011, 2459, 2458, 2453, 2456, 2457, 1964, 1963, 2460, 2461, 2464, 1954, 1953, 1949, 1947, 1948, 1942, 1941, 1940, 1905, 1891, 1885, 1884, 1883, 1882, 1885, 1838, 1839, 1842, 1843, 1844, 1855, 1856, 1817, 1775, 1774, 1777, 1778, 1781, 1782, 1786, 1093, 1100, 1099, 1098, 1097, 1108, 1109, 1150, 1149, 1148, 1146, 1158, 1159, 1168, 1167, 1166, 1163, 1237, 1236, 1233, 1264, 1265, 1266, 1271, 1275, 1276, 1287, 1288, 1289, 1226, 1290 एवं सीमा रेखा ग्राम - पहाड़पुर।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जायेंगे।


यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल की आदेश से


जिला भू-अर्जन पदा०,
समस्तीपुर।
27-7-11


अपर समाहर्ता,
समस्तीपुर।


समाहर्ता,
समस्तीपुर।

सरकार के उच्च सचिव

ज्ञापक सं०-15/डी० एल० ए०/रा० उ० प० सं०-31- समस्तीपुर - 35/11-164/रा० पटना, दि०-17/01/2013
ज्ञापक/डी०एल०ए० समस्तीपुर पटना दिनांक

प्रतिलिपि :- जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अघोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर को भी भेज दें।

अनु० :- यथोक्त।

सरकार के उपा सचिव

ज्ञापक/डी०एल०ए० समस्तीपुर पटना दिनांक

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना जन संपर्क विभाग, पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय, समस्तीपुर को भेज दें।

अनु० :- यथोक्त।

11/1/13
सरकार के उपा सचिव

9